

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अंजड जिला-बडवानी (म.प्र.)**  
**(समक्ष: शरद जोशी)**

**दिवानी प्र.कमांक- 39ए/2015**

**आर.सी.टी कं0 768**

**संस्थित दिनांक-26.11.2015**

1. मेहरुम पति बशीर,जाति मुसलमान,  
आयु-65 वर्ष, व्यवसाय-गृहकार्य,  
निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
2. आयुब पिता बशीर,जाति मुसलमान,  
आयु-55 वर्ष, व्यवसाय-खेती,  
निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)

----- वादीगण

**विरुद्ध**

1. साकिर पिता गनी जाति मुसलमान,  
आयु 40 वर्ष,निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,  
तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
2. गबरू पिता मांगीलाल जाति कहार,  
आयु 45 वर्ष,निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,  
तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
3. हसबानो पिता बशीर जाति मुसलमान,  
आयु 32 वर्ष,निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,  
तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
4. तुलस्याबाई पिता बशीर जाति मुसलमान,  
आयु 35 वर्ष,निवासी इंदौर,जिला इंदौर (म0प्र0)
5. जितेन्द्र पिता गबरू पात्रे कहार,  
निवासी ग्राम ब्राह्मणगांव,तह0ठीकरी जिला बडवानी (म0प्र0)
6. अशोक पिता बाबूसिंह राजपूत आयु 40 वर्ष,  
निवासी ग्राम दवाना तहसील ठीकरी,  
जिला बडवानी (म0प्र0)
7. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,  
बडवानी जिला बडवानी (म0प्र0)

-----प्रतिवादीगण

-----  
**// आदेश //**

**(आज दिनांक 11.04.2018 को पारित)**

**01.** इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र  
अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

अर्थात् अंतर्वर्तीय आवेदन पत्र क्रमांक 1 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से वादीगण ने ग्राम रहडकोड तहसील ठीकरी की कृषि भूमि सर्वे नं. 44 रकबा 2.46 लगान 6.33(जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जायेगा) की भूमि जो कि, वादीगण के नाम पर होने से व पैतृक सम्पत्ति होने से प्रतिवादी क्रं0 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के अंतिम निराकरण तक चाही है, कि उक्त प्रतिवादी क्रं0 1 प्रकरण के निराकरण तक तहसील ठीकरी बिक्री रजिस्ट्री (रजिस्ट्री क्रं0 642 दिनांक 15.10.2015) के आधार पर नामांतरण न करें।

**02.** वादीगण द्वारा आवेदन संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है कि, वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में घोषणा एवं कब्जे का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वाद का गुण-दोष के आधार पर निराकरण होने में समय लगने की संभावना है। प्रतिवादी क्रं0 1 साकिर पिता गनी मुसलमान निवासी ब्राह्मणगांव के द्वारा ग्राम रहडकोट तहसील ठीकरी की भूमि सर्वे नं. 44 रकबा 0.995 लगान 6.25 की कुल रकबा 0.995 है, जो खरीददार जितेन्द्र पिता गबरू मात्रे को दिनांक 15.10.2015 को उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री उसके हक में की, जिसकी फोटो कापी वादीगण के द्वारा दावे के साथ पेश की है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति होने से उस भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 01 को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसमें वादीगण का भी हिस्सा होने से बिना सहमति प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 06 को बेची है। उसे निरस्त कराने की कार्यवाही इस न्यायालय में की है। उक्त बिक्री दस्तावेज के आधार पर तहसील ठीकरी में खरीददार जितेन्द्र-गबरू निवासी ब्राह्मणगांव के द्वारा संबंधित पटवारी को बिक्री के आधार पर नामांतरण करने का आवेदन दिया है। उस नामांतरण को रोकने के संबंध में लिखित आपत्ति भी वादीगण के द्वारा दी गई है, जिसकी फोटो कापी पेश की है, इसलिए उक्त आपत्ति एवं उक्त दावे के निराकरण में समय लगेगा, इसलिए प्रति वादी क्रं0 1 ने प्रतिप्रार्थी क्रं0 6 को जो जमीन बिक्री की है। राजस्व न्यायालय तहसील ठीकरी बिक्री के आधार पर नामांतरण को दावे के निराकरण तक रोक दिया जावे, यदि नहीं रोक गया तो वादीगण का बराबर का स्वत्व है एवं स्वत्व से बेदखल हो जायेगा और वादी को अपरिमित क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति रुपये पैसे से नहीं आकी जावेगी, इसलिए सुविधा व संतुलन वादीगण के पक्ष में है, एवं प्रथम दृष्टि में वाद सफल होने की पूर्ण संभावना है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हित में देकर प्रकरण के निराकरण तक तहसील ठीकरी को बिक्री रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण रोकने का आदेश जारी किया जावे।

**03.** प्रतिवादीगण का जवाब संक्षेप में इस आशय का प्रस्तुत किया है

कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये मिथ्या आधारों पर असत्य रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 के तत्वों की पूर्ति नहीं करता है। यह कि, वादीगण को कोई अपूर्ण क्षति होना संभावित नहीं है। कृषि भूमि का वाद प्रस्तुति के पूर्व ही विक्रय हो चुका है, तथा राजस्व पत्रकों में प्रतिवादी कं0 6 के नाम से दर्ज भी हो चुकी है। प्रतिवादी साकिर एवं वादीगण के मध्य आपसी बटवारा तहसील न्यायालय के माध्यम से हुआ था, तथा बटवारा प्रकरण क्रमांक 145-अ-27/2006-07 आदेश दिनांक 30.09.2008 के द्वारा राजस्व पत्रकों में वादीगण के नाम कम कर दिये गये हैं। वादीगण को उक्त भूमि के एवज में ही ग्राम रहडकोट में स्थित सर्वे नं0 64,65/1/2,35/9 की भूमि प्राप्त हुई थी। अयुब खान व मेहरूम बी के द्वारा अपने हिस्से की भूमि नैनसिंह पिता उमरावसिंह भील निवासी पिछोला को विक्रय कर दी थी, तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि अयुब तथा मेहरूम के द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी, तथा प्रतिवादी साकिर के द्वारा विक्रय पत्र पर खातेदार के नाते हस्ताक्षर किये थे। प्रतिवादी साकिर के द्वारा विक्रय मूल्य में से कोई राशि प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उक्त भूमि मेहरूम बी व अन्य के हिस्से में आयी थी। प्रतिवादी साकिर को दाविया भूमि हिस्से में आयी थी, तथा वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहा था। प्रतिवादी साकिर के द्वारा अपने हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से जितेन्द्र पिता गबरू कहार निवासी ब्राह्मणगांव को विक्रय की जा चुकी है, तथा विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी जितेन्द्र के नाम से राजस्व पत्रकों में भी भूमि दर्ज हो चुकी है, तथा जितेन्द्र के द्वारा मालिक नाते उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। मेहरूम बी बेवा बशीर एवं अयुब खान पिता बशीर के द्वारा जमीन विक्रय करने के पश्चात् एक इकरारनामा दिनांक 26.10.2014 को प्रतिवादी साकिर के पक्ष में लिखा था तथा यह अभिकथन किया था कि, दिनांक 29.01.2004 को उनके द्वारा जो कृषि भूमि का विक्रय किया गया है, उसकी सम्पूर्ण राशि मेहरूम बी एवं अयुब के द्वारा प्राप्त की गयी है, तथा सर्वे नं. 44 रकबा 0.995 हैक्टेयर वाली भूमि में वादी मेहरूम बी एवं अयुब का कोई हक हिस्सा नहीं है। दाविया भूमि में वादीगण का कोई हक नहीं है। वादीगण का आवेदन पत्र विक्रय निरस्ती की कार्यवाही के बिना चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

#### 04. प्रकरण में विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैं :-

- अ. क्या वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- स. क्या वादी के पक्ष में अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं किए

दिवानी प्र.कमांक- 39ए/2015

//4//

आर.सी.टी कं0 768

संस्थित दिनांक-26.11.2015

जाने की दशा में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी ?

विचारणीय बिन्दु कमांक अ के संबंध में

05. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत नगर पालिका परिषद मलजखंड विरुद्ध हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 2009 (1) एम.पी.एच. टी. 48 में इस आशय का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये अनुतोष अपने प्रथम दृष्ट्यां प्रकरण को दर्शित करने के लिये वादी को अपना स्वत्व स्पष्ट रूप से स्थापित करना आवश्यक नहीं होता है, और वादी से केवल यही अपेक्षा की जा सकती है कि, वह न्यायालय का यह समाधान कर दे कि, जिस विधिक अधिकार का दावा उसके द्वारा किया जा रहा है, उस विधिक अधिकार के अस्थितत्व के बारे में उठाये जाने के लिये उसके पास सद्भाविक प्रश्न है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत शंकरलाल राठौर विरुद्ध स्टैट ऑफ एम.पी. जे.एल.जे. में इस आशय का अभिमत दिया गया है कि, प्रथम दृष्ट्यां प्रकरण का तात्पर्य यह होता है कि, विचारण के दौरान उठाये जाने के लिये गंभीर एवं सद्भाविक प्रश्न उस व्यक्ति के पास है, जो अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, और उसका दावा मात्र तुच्छ या निरर्थक या मात्र तंग करने वाला नहीं है। इस हेतु सर्व प्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि, क्या प्रथम दृष्ट्यां वाद वादीगण के पक्ष में है, अर्थात् वादीगण द्वारा किये गये अभिवचन के आधार पर वादीगण के सफल होने की संभावना है।

06. वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में अयुब खान पिता बशीर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, तथा दावे के साथ 1995 से 2000 तक खसरा पंचसाला, प्रतिवादी कं0 1 के नाम से दर्ज किस्तबंदी खतौनी खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण द्वारा जारी किया गया परिवार पत्र की छायाप्रति, व तहसीलदार को नामांतरण रोकने बाबत आपत्ति पत्र की छायाप्रति एवं प्रतिवादी कं0 1 द्वारा प्रतिवादी कं0 6 को विक्रय की गयी भूमि की रजिस्ट्री प्रस्तुत की है। इसके विपरित प्रतिवादी कं0 1,2 एवं 6 की ओर से आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र व जवाब दावे के साथ प्रतिवादी कं0 1 का नाम दर्शित खसरा वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 व वर्ष 2006 में वादी मेहरूम का नाम कम किये गये खसरे की व वर्ष 2010-11 के खसरे की छायाप्रति, वादीगण व खरीददार नैनसिंह के मध्य काश्त का बिक्री नामें की छायाप्रति व मेहरूम बाई द्वारा निष्पादित इंकारनामा का छायाप्रति प्रस्तुत की है।

**07.** वादीगण ने प्रस्तुत वाद ग्राम रहडकोड में स्थिति कृषि भूमि सर्वे नं0 44 रकबा 2.46 एकड को उसकी पैतृक सम्पत्ति होना बता कर प्रतिवादी कं0 1 का नामांतरण निरस्त करवाने, दिनांक 15.10.2015 को बिक्री रजिस्ट्री में प्रतिवादी कं0 1 ने वादीगण की कोई सहमति नहीं ली है इस आधार पर रजिस्ट्री निरस्त व वादग्रस्त भूमि का पश्चिम दिशा की भूमि का भी बराबर-बराबर रूप में बटवारा करके दिलाये जाने की घोषणा दिये जाने का निवेदन किया।

**08.** वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि, प्रतिवादी कं0 1 साकिर पिता गनी मुसलमान निवासी ब्राह्मणगांव के द्वारा ग्राम रहडकोट तहसील ठीकरी की भूमि सर्वे नं. 44 रकबा 0-995 लगान 6-25 की कुल रकबा 0-995 है, जो खरीददार जितेन्द्र पिता गबरू मात्रे को दिनांक 15.10.2015 को उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री उसके हक में की, जिसकी फोटो कापी वादीगण के द्वारा दावे के साथ पेश है, उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति होने से उस भूमि को विक्रता को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसमें वादीगण का भी हिस्सा होने से बिना सहमति से विक्रेता ने खरीददार को बेची है। उक्त बिक्री दस्तावेज के आधार पर तहसील ठीकरी में खरीददार जितेन्द्र-गबरू निवासी ब्राह्मणगांव के द्वारा संबंधित पटवारी को बिक्री के आधार पर नामांतरण करने का आवेदन दिया है। उसे नामांतरण को रोकने के संबंध में लिखित आपत्ति भी वादीगण के द्वारा दी गई है, जिसकी फोटो कापी पेश की है, इसलिए उक्त आपत्ति एवं उक्त दावे के निराकरण में समय लगेगा, इसलिए प्रतिवादी कं0 1 ने प्रतिप्रार्थी कं0 6 को जो जमीन बिक्री की है व प्रतिवादी क्रमांक 06 के नामांतरण रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का तर्क किया।

**09.** प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि, कृषि भूमि का वाद प्रस्तुति के पूर्व ही विक्रय हो चुका है, तथा राजस्व पत्रकों में प्रतिवादी कं0 6 के नाम से दर्ज भी हो चुकी है। प्रतिवादी साकिर एवं वादीगण के मध्य आपसी बटवारा तहसील न्यायालय के माध्यम से हुआ था, तथा बटवारा प्रकरण क्रमांक 145-अ-27/2006-07 आदेश दिनांक 30.09.2008 के द्वारा राजस्व पत्रकों में वादीगण के नाम कर किये गये। वादीगण को उक्त भूमि के एवज में ही ग्राम रहडकोट में स्थित सर्वे नं0 64,65/1/2,35/9 की भूमि प्राप्त हुई थी। अयुब खान व मेहरूम बी के द्वारा अपने हिस्से की भूमि नैनसिंह पिता उमरावसिंह भील निवासी पिछोला को विक्रय कर दी थी, तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि अयुब तथा मेहरूम के द्वारा प्राप्त कर ली गयी थी, तथा प्रतिवादी साकिर के द्वारा विक्रय पत्र पर खातेदार के नाते हस्ताक्षर किये थे। प्रतिवादी साकिर के द्वारा विक्रय मूल्य में से कोई राशि प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि उक्त भूमि मेहरूम बी व अन्य के हिस्से में आयी थी। प्रतिवादी साकिर को दाविया भूमि हिस्से में आयी थी, तथा वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करते चले

आ रहा था। प्रतिवादी साकिर के द्वारा अपने हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से जितेन्द्र पिता गबरू कहार निवासी ब्राह्मणगांव को विक्रय की जा चुकी है, तथा विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी जितेन्द्र के नाम से राजस्व पत्रकों में भी भूमि दर्ज हो चुकी है, तथा जितेन्द्र के द्वारा मालिक नाते उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, मेहरूम बी बेवा बशीर एवं अयुब खान पिता बशीर के द्वारा जमीन विक्रय करने के पश्चात् एक इकरारनामा दिनांक 26.10.2014 को प्रतिवादी साकिर के पख में लिखा था। यह अभिकथन किया था कि, दिनांक 29.01.2004 को उनके द्वारा जो कृषि भूमि का विक्रय किया गया है, उसकी सम्पूर्ण राशि मेहरूम बी एवं अयुब के द्वारा प्राप्त की गयी है, तथा सर्वे नं. 44 रकबा 0.995 हैक्टेयर वाली भूमि में वादी मेहरूम बी एवं अयुब का कोई हक हिस्सा नहीं है।

**10.** वादीगण ने अपने समर्थन में जवाब दावे के साथ 1995 से 2000 तक का खसरा पंचसाला प्रस्तुत किया है, परन्तु वर्ष 2000 के पश्चात् का कोई खसरा प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण के द्वारा जो किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2015-16 की प्रस्तुत की है उसमें कॉलम-02 में भूमि स्वामी के रूप में प्रतिवादी क्रं0 1 साकिर पिता गनी मोहम्मद का नाम उल्लेखित है, व तहसीलदार को नामांतरण में आपत्ति करने बाबत् प्रस्तुत किया गया आपत्ति पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

**11.** इसके विपरित प्रतिवादी क्रं0 1,2 व 6 ने दस्तावेज के रूप में जवाब दावे के साथ वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रं0 1 का नाम दर्शित खसरा वर्ष 2006, 2010-11, 2012-13, 2013-14 व 2014-15 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रथम दृष्टयां परिलक्षित है कि, वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक प्रतिवादी क्रं0 1 का निरंतर आधिपत्य रहा है। वर्ष 2006 में वादी मेहरूम का नाम कम किये गये खसरे की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है, जिसमें कॉलम नं0-02 में कब्जेदार के स्थान पर उनका नाम विलोपित गया है, इसके खंडन स्वरूप वादीगण द्वारा वर्ष 2006 के पश्चात् का भी कोई खसरा प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण व खरीददार नैनसिंह के मध्य काश्त का बिक्री नामें की छायाप्रति व मेहरूम बाई द्वारा निष्पादित इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि, वादीगण की ग्राम रहडकोड ह.न. 014, तहसील ठीकरी में स्थिति भूमि खसरा नं0 64-65/01/02-65/09 रकबा 7.40 एकड़ लगान 7.01 की वादीगण की हिस्से की होकर इस भूमि को वादीगण ने 2,00,000/(दो लाख) में बिक्री कर बिक्री मूल्य प्राप्त कर लिया है, व इस प्रकार वादीगण द्वारा स्वत्व व शामिल का हिस्सा प्राप्त कर लिया है, व अब वादीगण का ग्राम रहडकोड में स्थित खसरा नं0 44 रकबा 0.995 वाली भूमि में कोई आधिपत्य हक, हिस्सा रहा नहीं, वादीगण का नाम उस भूमि पर स्वत्वहीन होकर दर्ज चला आ रहा है। अतः उक्त भूमि पर राजस्व रेकार्ड में से वादीगण का नाम कम कर

साकिर के नाम से नामांतरण यथावत् स्थिति में रहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिससे भी प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 का उक्त भूमि पर आधिपत्य है।

**12.** प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2015-16 की खसरे की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें कब्जेदार के कॉलम में प्रतिवादी क्रं0 6 जितेन्द्र पिता गबरू का नाम उल्लेखित है, जिससे भी प्रथम दृष्ट्या यह दर्शित है कि, प्रतिवादी क्रं0 6 का नामांतरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व पत्रकों में दर्ज हो चुकी है, व प्रतिवादी क्रं0 6 जितेन्द्र वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में है व उसका उपयोग व उपभोग कर रहा है।

**13.** यद्यपि इन तथ्यों पर गुण दोषों के आधार पर साक्ष्य होना शेष है किन्तु राजस्व अभिलेखों को देखने से वाद दिनांक को वादग्रस्त स्थान पर वादीगण का प्रथम दृष्ट्या आधिपत्य नहीं है एवं वर्ष 2006 का जो खसरा प्रस्तुत किया गया है उसमें वादीगण का नाम कम किया गया था। उसके तुरंत पश्चात वादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही राजस्व न्यायालय में की गई हो ऐसा भी कोई अभिलेख वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया है वादीगण ने प्रथम बार नामांतरण के संबंध में ही आपत्ति ली गई है।

**14.** इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह प्रकट नहीं होता है कि, प्रकरण के निराकरण तक तहसील ठीकरी की रजिस्ट्री क्रं0 642 दिनांक 15.10.2015 की बिक्री रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण रोकने का कोई आधार है। वादीगण अपने आवेदन के समर्थन में अभिलेख पर कोई भी प्रथम दृष्ट्या विश्वसीनय सामग्री प्रस्तुत करने में असफल रहा है। इस स्थिति में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि, वादीगण के द्वारा किये गये दावे के समर्थन में उनका कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है।

### विचारणीय प्रश्न कं0 ब व स

**15.** चूंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं पाया गया है। इस कारण यह भी स्पष्ट होता है कि, सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में नहीं है, और उसे कोई आपूर्णिय क्षति भी कारित नहीं होती है, चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिये आवश्यक तीनों घटक प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं आपूर्णिय क्षति वादीगण के पक्ष में नहीं पाये गये हैं। इसलिये वादीगण उसके द्वारा चाही गयी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**16.** परिणामस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. सह पठित धारा 151 व्य.प्र.सं. एतद्वारा खारिज किया जाता है।

**17.** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, इस आदेश में व्यक्त किये

// 8 // दिवानी प्र.कमांक- 39ए/2015  
आर.सी.टी कं0 768  
संस्थित दिनांक-26.11.2015

गये मत् या दिये गये निष्कर्ष आई.ए.नंबर-1 के निराकरण के सीमित प्रयोजन के लिये ही व्यक्त किये गये हैं, या दिये गये हैं, और इन मतों या निष्कर्षों को वादीगण के वाद के गुण-दोषों के आधार पर होने वाले अंतिम निराकरण को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जावेगा।

18. वाद के अंतिम निराकरण पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

19. आवेदन पत्र के व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित  
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही / -

सही / -

(शरद जोशी)

(शरद जोशी)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
अंजड़, जिला बड़वानी म0प्र0

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0



